संख्या- 28/1523/22-4-14-102(ब)/13

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 09दिसम्बर,2014

विषय- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुपूरक मांग के माध्यम से हुई बजट व्यवस्था की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-28506/बजट-1, दिनांक- 01-10-2014 के संदर्भ एवं वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-2-3361/दस-2014-244/2014, दिनांक 28-11-2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमन वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-25 गृह विभाग(कारागार) अनुपूरक मांग के माध्यम से आयोजनेत्तर पक्ष राजस्व लेखाशीक-2056-जेलें-101-जेल-03-समस्त कारागार की विभिन्न मदों में प्राविधानित कुल रू0 31,00,00,000/-(रूपये इकत्तीस करोड़ मात्र) की धनराशि वचनबद्व/आवश्यक व्यय वहन करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(1) जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैड बुक के नियमों तथा अन्य कोई स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारों की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सक्षम किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में समय- समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अधीनस्थ कार्यालयों को मासिक उपयोग के आधार पर धनराशि आवंटित् की जाय, ताकि उत्त्र प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाना संभव हो सके।

(3) आवंटन आदेश कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4 को आवश्यक रूप से पृष्ठांकित किये जायं। विशेष परिस्थिति में यदि अधिक धनराशि के आवंटन की आवश्यकता है तो समुचित कारण बताते हुए शासन की अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आवंटन किया जाय।

(4) शासकीय व्यय में मितव्यिता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) आहरण वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा। किसी भी दशा में अग्रिम आहरण नहीं किया जायेगा।

(6) वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-07-2014, जो आपको भी पृष्ठांकित हैं, मे प्रदत्त निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) विधुत देय, औषधि तथा रसायन एवं भोजन व्यय मद में स्वीकृत धनराशि का उपयोग पूर्व से लम्बित दायित्वों का यथासम्भव भुगतान इस प्रकार प्राथमिकता का निर्धारण करते हुए कि वर्तमन वित्तीय वर्ष की आवश्यकताएं भी यथा सम्भ्व मीटआउट हो जायं,किया जायेगा।

(8) विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की वित्तीय स्वीकृतियां यथासम्भव एक बार में ही जारी की जायं तथा वित्तीय स्वीकृतियों को सापेक्ष एक मुश्त आहरण की अनुमति न दी जाय। वित्तीय स्वीकृतियों में आवयकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जाय।

(9) कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में 15 डिजिट कोड सहित लेखाशीर्ष, आयोजनागत/आयोजनेत्तर/भारित और अनुदान संख्या का उल्लेख किया जायेगा।

(10) जारी की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशियों को पी0एल0ए0/डिपाजिट खातों में जमा न किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त व्यय चालूवित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत संलग्न विवरण में उल्लिखित मदों के नामे डाला जायेगा और उपलब्ध बजट प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22-07-14 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या-28/1523(1)/22-4-14-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(3) जिलाधिकारी, बरेली।
(4) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-1523/22-4-2014-102(ब)/13, दिनांक 09-12-2014 का संलग्नक

राजस्व लेखा- आयोजनेत्तर (धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक 2056-जेलें-101-03-समस्त कारागार

09-विघुत देय	50000
39-औषधि तथा रसायन	10000
41-भोजन व्यय	250000
योग-	310000

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in